

2312

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 4.83 hectares of forest land in favour of HPPWD for the improvement and widening of Kullu-Karon road (Km. 0/00 to 15/00), under Central Road Fund, within the jurisdiction of Kullu Forest Division Distt. Kullu, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB032/2012-CHA दिनांक 07.08.13 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.83 hectare वन भूमि को Executive Engineer, Kullu Division No.II, HPPWD, Distt. Kullu, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष/पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार तीन सौ पच्चीस वृक्ष और दो सौ इकसठ पौधों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF Jhinjru में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 13,02,350/- (तेरह लाख दो हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि से कुल 10.00 हैक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 कार्य शुरू करने से पूर्व ~~राज्य सरकार द्वारा~~ प्रस्ताव से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत का निपटारा किया जायेगा तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ को अवगत करवाया जायेगा।
- 5 No labour camp shall be established on the forest land.
- 6 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 7 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002 - FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

5/1/13
APCCF (FCM)
PCCF
4/10

10 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the...1-10-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24-25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt, Kullu, Himachal Pradesh.
6. Executive Engineer, Kullu Division No. II, HPPWD Distt. Kullu. HP.
7. CCF, Kullu /DFO, Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P.
8. Guard File.

(Prakasha Nand)

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

0177-2628481,9418455573